मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 1996 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 28 नवम्बर,1996 (अग्रहायण 7,1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निर्यात निगम मर्यादित का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे दिनांक 31 मार्च, 1995 को समाप्त वर्ष के लिये पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री बाबूलाल गौर, बृजमोहन अग्रवाल, रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा जिले के पनवार थानान्तर्गत एक छात्र का डकैतों द्वारा अपहरण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) कुंवर विजय शाह, सदस्य, खण्डवा जिले के हरसूद विधान सभा क्षेत्र में वन कर्मियों द्वारा आदिवासियों का शोषण किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम बिलगांव क्वारी में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(2) श्री चिरौंजीलाल सोनकर, सदस्य, विदिशा जिले के -

(क) ग्राम कस्बाताल से शेरखेड़ी तक पहुंच मार्ग बनाये जाने ;
(ख) ग्राम कस्बाताल से बमोरी शाला तक पहुंच मार्ग बनाये जाने ; तथा
(ग) ग्राम उनारसी ताल से धोसुआ ताल तक पहुंच मार्ग बनाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

30 मि. श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान-मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 21 सन् 1996) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. (1) प्रदेश में निरन्तर गिरते भू-जल स्तर को रोकने के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(2) प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में अल्पवर्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री बच्चन नायक, डॉ. गोविन्द सिंह, रामलखन सिंह (स्यौंधर), गौरी शंकर बिसेन, डॉ. ढाल सिंह बिसेन, बनवारीलाल अग्रवाल, लक्ष्मीकांत शर्मा, रमेश शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, जयकरण साकेत तथा रामलखन शर्मा, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 27 नवम्बर, 1996